मानक शर्तें

(वन अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 7314/14–03–1980/82 दिनांक 31.12.84 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधनिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा सके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तानान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मॉगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. अधोहस्ताक्षरी विभाग, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमान्कन यंत्रक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में कराएगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गए मुनारे आदि की देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तानान्तरण यथा सम्भव प्रस्तावित न किया जाए। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ण एवं वन जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जाएगी।
9. सिचाई विभाग/ जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों / पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारीयों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी |
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रायोजन करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग के न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि ;।नजवउंजपबद्ध स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जाएगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर "एलाइनमेंट " तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा.नि.नि. द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में 'प्रमुख अभियंता सा.नि.नि. के अतिरिक्त मुख्य अभियंता पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को संबोधित पत्र सं 603 सी दिनांक 10.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सा.नि.नि.द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गो को मामूली फेर बदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है
12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर ऑकलित होगा जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा | यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा संभव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाज़ार भाव मूल्य देय होगा |
14. हस्तान्तरित भूमि में पडने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड के स्थान पर दस पेडों का रोपड तथा तीन वर्ष का परिशाषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये जाए, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30 से अधिक ढाल पर खडे वृक्षों का पातन निषिद्व है। किसी प्रकरण बॉज ( ) के पेडों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों का पातन का निरीक्षण वन संरक्षण स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासम्भव पेडों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेडों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षण अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू –क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समक्षा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करेगा।
17. परिलिखित मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार द्वारा अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्त लगाई जाती है तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन विभाग का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये जब उक्त शर्तो का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उसका उचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

मैं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड का प्रतिनिधि ये प्रमाणित करता हूँ कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उपरोक्त उल्लेखित सभी शर्ते मान्य हैं तथा उनका अनुपालन किया जाएगा।

(आर.के. सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
फिरोजाबाद

1-12/18
(एस० एस० यादव)
मुख्य प्रबन्धक
पावरग्रिड, मैनपुरी